प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार किया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भा.प्रौ.सं.) भारत में अभियान्त्रिकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्वायत्त संस्थान हैं। वर्ष 2008 से पहले, सात भा.प्रौ.सं. थे जिनकी संख्या वर्ष 2009 तक 15 तथा वर्ष 2016 तक 23 तक बढ़ा दी गई थी। इसे देश की कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, शिक्षा और अनुसंधान के विस्तार को सुगम बनाने के लिए किया गया था। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2008-09 के दौरान आठ नए भा.प्रौ.सं. की स्थापना पर की गई निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं और इसमें वर्ष 2014-19 की अवधि से संबंधित इन भा.प्रौ.सं. के क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा और लेखा के लेखापरीक्षा मानकों और विनियमों 2007 के अनुरूप की गई है। निष्पादन लेखापरीक्षा ने भूमि की उपलब्धता, परिकल्पित छात्र नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अवसंरचना के सृजन, उपकरणों और सेवाओं का प्रापण, सामान्य वित्तीय प्रबंधन और भा.प्रौ.सं. की शैक्षणिक/अनुसंधान क्रियाकलापों का आकलन करने का प्रयास किया। इस प्रतिवेदन में इन भा.प्रौ.सं. के प्रशासन के निरीक्षण तंत्र को भी सम्मिलित किया गया है।

प्रतिवेदन को प्रत्येक भा.प्रौ.सं. तथा शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार की प्रतिक्रियाओं पर विचार के पश्चात अंतिम रूप दिया गया है।

लेखापरीक्षा इस लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न चरणों पर, भा.प्रौ.सं. और शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है।